



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223843
CG-DL-E-21122020-223843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/ अग्रहायण 30, 1942

No. 556]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

संदर्भ :HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (115).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गए हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 2347 : 2017 घरेलू प्रेशर कुकर — विशिष्टि (छठा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 4 नवम्बर 2020	26 नवम्बर 2020	25 मई 2021

2	आई एस 3196 (भाग 1) : 2013 अल्प दाब द्रवणीय गैसों के लिए 5 लिटर से अधिक जल क्षमता वाले बेल्डित अल्प कार्बन इस्पात के सिलिंडर भाग 1 द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) के लिये सिलिंडर — विशिष्टि (छठा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 4 नवम्बर 2020	26 नवम्बर 2020	25 मई 2021
3	आई एस 8472 : 2019 स्वच्छ, शीतल जल के लिये अपकेंद्री पुनर्योजी पम्पों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 4 नवम्बर 2020	26 नवम्बर 2020	7 जुलाई 2021

इन मानकों में संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों में संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक 'जी' एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./418/2020-21]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2020

Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (115).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 2347 : 2017 Domestic Pressure Cooker — Specification (Sixth Revision)	Amendment No.4 Nov 2020	26 Nov 2020	25 May 2021

2	IS 3196 (Part 1) : 2013 Welded Low Carbon Steel Gas Cylinder Exceeding 5 Litre Water Capacity or Low Pressure Liquefiable Gases Part 1 Cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) — Specification (Sixth Revision)	Amendment No.4 Nov 2020	26 Nov 2020	25 May 2021
3	IS 8472 : 2019 Centrifugal Regenerative Pump for Clear Cold Water — Specification (Second Revision)	Amendment No.1 Nov 2020	26 Nov 2020	7 July 2021

Copies of these amendments to standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of amendments to Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist 'G' & DDG (Standardization – P & M)
[ADVI.-III/4/Exty./418/2020-21]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर 2020

संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (116).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ PUB/3/5/2020-21 (88) दिनांक 7 अक्टूबर 2020 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

अनुसूची के क्रम संख्या (7), कॉलम (5) में – '20 अक्टूबर 2020' को '20 जनवरी 2021' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक 'जी' एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./418/2020-21]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th December 2020

Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (116).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published